भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 660

जिसका उत्तर दिनांक 20.07.2022 को दिया जाना है

भारतीय परमाणुवीय/परमाणु ऊर्जा

660. श्री मनीश तिवारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की विभिन्न ऊर्जा संसाधनों के सम्मिश्रण में भारत की परमाणुवीय/परमाणु ऊर्जा के मौजूदा हिस्से का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यूक्रेन युद्ध, तेल व गैस की कीमतों में उछाल और कई देशों द्वारा परमाणु/परमाणुवीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिगत कोई कदम उठाने आरंभ किए हैं;

(ग) भारत-अमरीका असैन्य परमाणु संधि, 2008 के पश्चात् भारत में वर्ष 2008 से लेकर आज की तारीख तक अधिष्ठापित की गई परमाणुवीय ऊर्जा क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत 2010 के अपने परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के बीच मौलिक असमानता का समाधान करने में समर्थ रहा है;

(ङ) क्या परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व कानून परमाणुवीय शोध हेतु विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में एक बाधा बन गया है;

(च) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच संबंध के प्रति रवैया आलोचनात्मक रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) परमाणुवीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक की स्थिति क्या है और क्या उसे मौजूदा सरकार द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) वर्ष 2021-22 में देश के कुल विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का हिस्सा लगभग 3.15% रहा।

(ख) सरकार ने निर्धारित क्षमता पर मौजूदा नाभिकीय रिएक्टरों को प्रचालित करने के लिए ईंधन की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था कर ली है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 6780 मेगावाट की वर्तमान संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता को वर्ष 2031 तक 22480 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए पहले ही परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है।

(ग) वर्ष 2008 के बाद आरएपीपी 5 व 6 (2 x 220 मेगावाट), केजीएस-4 (220 मेगावाट) और केकेएनपीपी 1 व 2 (2 x 1000 मेगावाट) को मिलाकर 2660 मेगावाट नाभिकीय विद्युत क्षमता बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008 से 15,200 मेगावाट की कुल क्षमता वाली नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) सीएलएनडी अधिनियम के प्रावधान, प्रचालक को सख्त/पूर्ण कानूनी देयता की व्यवस्था, राशि और समय में देयता की सीमाओं, बीमा द्वारा देयता पर्याप्तता और वित्तीय सुरक्षा, नाभिकीय संस्थापन का निर्धारण, क्षति इत्यादि से संबंधित पूरक क्षतिपूर्ति समझौता (सीएससी) और उसके परिशिष्ट के निबंधन व शर्तों के अनुसरण में हैं। वास्तव में, सीएलएनडी अधिनियम ने भारत को सीएससी में शामिल होने का आधार प्रदान किया है। सीएससी के अनुच्छेद XVIII में अपेक्षा है कि संविदाकारी पक्षकार जो वियना समझौता या पेरिस समझौता का पक्षकार नहीं है, उसके राष्ट्रीय कानून को सीएससी के परिशिष्ट के प्रावधानों का अनुपालन करना होता है। सीएलएनडी अधिनियम सीएससी के परिशिष्ट के अनुसरण में है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) सी&एजी ने वर्ष 2012 में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की गतिविधियों की निष्पादन लेखा परीक्षा की थी और उन्होंने एईआरबी की स्वतंत्रता पर, परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) जिसके अध्यक्ष सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग हैं, को इसकी रिपोर्टिंग के मद्देनजर कुछ टिप्पणियां की हैं। जबकि एईआरबी ने नियामक निर्णय लेने की अपनी प्रकार्यात्मक स्वायत्तता को स्पष्ट किया था, सी&एजी ने कानूनी रूप से स्वतंत्र आधार पर कानून के माध्यम से नियामक निकाय स्थापित किए जाने की वांछनीयता व्यक्त की थी।

(छ) "नाभिकीय संरक्षा नियामक प्राधिकरण (एनएसआरए) विधेयक, 2011" सितंबर 07, 2011 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तथापि, 15$^{वीं}$ लोकसभा के भंग होने के कारण विधेयक पर इसके आधिकारिक संशोधनों के साथ विचार नहीं किया जा सका। तत्पश्चात्, एनएसआरए विधेयक, 2015 जो मुख्य रूप से आधिकारिक संशोधनों सहित एनएसआरए विधेयक, 2011 ही है, पर कैबिनेट के लिए एक नोट, नए अन्तर-मंत्रालयीन परामर्श के बाद कैबिनेट अनुमोदन हेतु कैबिनेट सचिवालय को प्रस्तुत किया गया। तथापि, सचिवों की समिति ने विभाग को विधेयक की पुनः जांच करने की सलाह दी। अतः विभाग ने पुनः जांच के लिए समिति गठित की और एनएसआरए विधेयक, 2015 को प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदन की प्रार्थना करने वाले कैबिनेट नोट को वापस ले लिया और इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

*****